

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/३२० दिनांक : १०/३/१३

--:: कार्यालय आदेश ::--

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(25)नविवि /3/2006 जयपुर दिनांक 25.01.2010, 03.05.2010, 13.04.2011, 18.08.2011, 09.11.2011 एवं 23.11.2012 की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आदेश क्रमांक 207 दिनांक 27.01.2010, 44 दि. 26.05.2010, 12 दि. 29.04.2011, 115 दि. 13.10.2011, 161 दि. 08.12.2011 एवं 289 दिनांक 31.01.2013 द्वारा ई. डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.03.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.10.2011 के तहत यदि डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों की पूरी किश्तें जमा हो चुकी है एवं केवल ब्याज व शास्ति बकाया है तो जनहित में उक्त बकाया ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दिनांक 31.03.2013 तक किये जाने की शासकीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त रा. आ. म.
10. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
11. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त
12. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार